भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 245
19 नवंबर,2019 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम किसान योजना के अंतर्गत भूमिहीन किसान

245. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पीएम किसान योजना के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को शामिल करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पीएम किसान, ब्याज राजसहायता योजना और फसल बीमा योजना नामक तीन योजनाओं पर मंत्रालय के संशोधित बजट का कुल कितना प्रतिशत व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) फसल कटाई पूर्व और पश्चात अवसंरचना, सिंचाई मूल्य संवर्धन तथा बाजार तक पहुंच जैसे प्रमुख कृषि कार्यकलापों संबंधी व्यय करने हेतु विगत पांच वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): जी, नहीं, भू-जोत, पीएम-किसान स्कीम का मूल मानदंड है।

(ग) : वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का कुल बजट अनुमान 130485.21 करोड़ रु. है जिसमें से पीएम-किसान स्कीम, किसानों को अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए बजट अनुमान क्रमश: 75000 करोड़ रु. (57.47%), 18000 करोड़ रु.(13.79%), 14000 करोड़ रु. (10.73%) है।

(घ): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आरकेवीवाई) के तहत 50751.54 करोड़ रु., प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - 'प्रति बूंद अधिक फसल' स्कीम के लिए 10692.12 करोड़ रु., वर्षा पोषित क्षेत्र विकास (आरएडी), के तहत 1120.95 करोड़ रु., एकीकृत बागबानी विकास मिशन के तहत 9192.86 करोड़ रु., एकीकृत कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम) तथा राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (एनएएम) के तहत 3491.72 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।